

बनाये रखने और आवंटित भूमि का सही समय पर सही उद्देश्यों के लिए उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से सार्वजनिक व वेरीटेबल संस्थाओं को भूमि आवंटन करने हेतु तैयार की गई है। नीति में राज्य में शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट संस्थानों (Premier Institutions) की स्थापना व विनिवेश की दृष्टि से ऐसे संस्थानों को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधान सम्मिलित किये गये हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान किया गया है कि इन संस्थानों का लाभ गरीबों/बी.पी.एल. परिवारों को भी मिल सके। इस संबंध में पूर्व में जारी परिपत्रों /आदेशों को अधिकृत करते हुए निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. भूमि आवंटन हेतु संस्थाओं के लिए आवश्यक अर्हताएँ
 - 1.1 आवेदक संस्था सार्वजनिक/धार्मिक/वेरीटेबल अथवा सामाजिक संस्था होनी चाहिये, जिसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं हो तथा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत केन्द्र सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड संस्था हो तथा कम से कम से तीन वर्ष से अस्तित्व में होनी चाहिये। तीन वर्ष से कम अस्तित्व वाली संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन, संस्थाओं के उद्देश्यों, गुणावगुण व कियाकलापो के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। प्रीमियर संस्थानों के लिए तीन वर्ष की बाध्यता नहीं होगी।
 - 1.2 स्थानीय निकाय को भूमि आवंटन के लिये और राज्य सरकार को विशेष रियायत के लिये आग्रह करते समय संस्था का रजिस्ट्रेशन/विधान और पिछले तीन वर्षों का आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। बिन्दु सं. 2.1 में तीन वर्ष से

कम अस्तित्व वाली संस्थाओं को आवंटन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है तो तीन वर्ष के आय-लाभ का ब्योरा प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं होगी।

1.3 भूमि आवंटन के लिये आवेदनकर्ता संस्था की गतिविधियाँ उनके विधान के अनुसार व्यावसायिक नहीं होनी चाहिए तथा संस्था का उद्देश्य आवंटित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन से व्यावसायिक लाभ अर्जित करने का नहीं होना चाहिए।

1.4 आवेदक संस्था को आवेदन पत्र के साथ भूमि आवंटन का स्पष्ट प्रयोजन तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी, जिसमें परियोजना के लिये न्यूनतम भूमि की आवश्यकता, उस पर प्रस्तावित निर्माण का वित्तीय अनुमान और भवन का किन उद्देश्यों के लिये उपयोग किया जायेगा, स्पष्ट विवरण देना होगा। परियोजना रिपोर्ट में निर्माण कार्य शुरू करने तथा उसे पूरा किये जाने का निर्धारित समय भी दर्शाना होगा। परियोजना के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख परियोजना रिपोर्ट में करना होगा।

1.5 आवेदक संस्था को यह भी आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा कि भूमि आवंटन से परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को मिलेगा।

2. विभिन्न उपयोगों हेतु भूमि का अधिकतम क्षेत्रफल

2.1 शैक्षणिक संस्थाएं -

(i) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय - समुदाय मुख्यालयों पर अधिकतम 2000 वर्गमीटर तथा समुदाय मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर 3000 वर्गमीटर

(ii) माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय - संभागीय मुख्यालयों पर अधिकतम 4000 वर्गमीटर तथा संभागीय मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर 6000 वर्गमीटर

(iii) नि:शक्तजन/मूक/बधिरों के लिए विद्यालय - संभागीय मुख्यालयों पर अधिकतम 2000 वर्गमीटर तथा संभागीय मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर 5000 वर्गमीटर

(iv) महाविद्यालय - संभागीय मुख्यालयों पर न्यूनतम 2000 वर्गमीटर व अधिकतम 10000 वर्गमीटर तथा संभागीय मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर न्यूनतम 4000 वर्गमीटर व अधिकतम 15000 वर्गमीटर

(v) विश्वविद्यालय - अधिकतम 30 एकड़

2.2 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं - (जो प्रकरण Policy To Promote Investment in Health Care Facilities, 2006 के अधीन नहीं आते हों)

(i) छोटे अस्पताल (25 शैयाओं तक)/नर्सिंग होम - संभागीय मुख्यालय पर 2000 वर्गमीटर तथा संभागीय मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर 3000 वर्गमीटर

(ii) बड़े अस्पताल (100 शैयाओं तक) - संभागीय मुख्यालय पर 6000 वर्गमीटर तथा संभागीय मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर 8000 वर्गमीटर

(iii) स्पेशलिटी हॉस्पिटल - संभागीय मुख्यालय पर 4000 वर्गमीटर तथा संभागीय मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर 6000 वर्गमीटर

(iv) पशु चिकित्सालय - संभागीय मुख्यालय पर 4000 वर्गमीटर तथा संभागीय मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर 6000 वर्गमीटर

2.3 सार्वजनिक सुविधाएँ -

(i) सामुदायिक केन्द्र - संभागीय मुख्यालयों पर अधिकतम 2000 वर्गमीटर तथा संभागीय मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर 4000 वर्गमीटर

2.4 पंजीकृत संस्थाओं के लिए -

(i) संभागीय मुख्यालयों पर अधिकतम 2000 वर्गमीटर तथा संभागीय मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर 4000 वर्गमीटर

नोट :-राज्य सरकार को गुणावगुण के आधार पर किसी विशेष प्रकरण में उपरोक्त क्षेत्रफल की सीमा में छूट देने का अधिकार होगा ।

3. आवंटन की दरें व निर्णय का स्तर

क्र. सं.	आवंटन का प्रयोजन	रियायती दरों की न्यूनतम सीमा	निर्णय का स्तर
(i)	शिक्षण संस्थाएँ <ul style="list-style-type: none"> • प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय • माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय • महाविद्यालय • विश्वविद्यालय • बालिका शिक्षण संस्था 	आवासीय आरक्षित दर बालिका शिक्षण संस्थाओं के लिये अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की चेरीटेबल संस्थाओं द्वारा निर्मित किये जाने वाले महाविद्यालय विद्यालय, छात्रावास के लिए आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत अन्य	1. आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन संबंधित चारा / प्राधिकरण / जातान मण्डल / स्थानीय निकाय स्तर पर किया जायगा। 2. आवासीय आरक्षित दर से कम पर आवंटन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा

		वैशेषिक सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित महाविद्यालय / विद्यालय के लिए आरक्षित दर का 50 प्रतिशत	नियम आवेगा। आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर विभाग दर पर, 30 प्रतिशत दर तक का आवेदन नगरीय विकास एवं आवासीय विभाग की Empowered Cabinet Committee द्वारा तभी इससे कम दर पर मंत्रीमण्डल द्वारा। नोट - यदि विकसित भूमि उपलब्ध नहीं है तो अविकसित भूमि आवंटित की जा सकती।
(ii)	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ <ul style="list-style-type: none"> • छोटे अस्पताल (25 शैयाओं तक) / नर्सिंग होम • बड़े अस्पताल • स्पेशलिटी हॉस्पिटल • पशु चिकित्सालय 	आवासीय आरक्षित दर या कम दर	उपरोक्तानुसार
(iii)	सार्वजनिक सुविधाएँ <ul style="list-style-type: none"> • सामुदायिक केन्द्र • चिकित्सा सस्थानों द्वारा नशा मुक्ति केन्द्र की स्थापना • मुद्दाभय / अनाथ आश्रम की स्थापना • पेशनर्स के लिये विश्राम घर का निर्माण • रेन-वॉटर का निर्माण 	आवासीय आरक्षित दर (क) 1000 वर्गमीटर तक का मुख्यण्ड नि:शुल्क आवंटन (ख) 1000 वर्गमीटर तक का मुख्यण्ड नि:शुल्क एवं 1000 वर्गमीटर से अधिक मुख्यण्ड होने पर 1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए	उपरोक्तानुसार नगर नगर तथा सार्वजनिक आऊ / शौचालय / कर्मस्थान / अमेशन / सामुदायिक / पुस्तकालय / बस स्टैंड आदि के लिए नगर विकास विभाग द्वारा / प्राधिकरण / वासासन

	<ul style="list-style-type: none"> • निशक्तजन, मूक एवं बधिरों के लिये शिक्षण/प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना • सार्वजनिक शौचालय एवं मूजालय निर्माण एवं रख-रखाव • वाल्मीकि भवन • कृष्णाश्रम • प्रेस क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय/वाचनालय का निर्माण • धर्मशाला 	<p>धर्मशाला सामुदायिक केन्द्र के लिए आवश्यक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत अन्वय संस्थाओं के लिए धर्मशाला/सामुदायिक केन्द्र आदि के लिए आवश्यक आरक्षित दर का 50 प्रतिशत। 50 प्रतिशत से कम 30 प्रतिशत तक दर पर आवंटन का निर्णय मन्त्री मण्डलीय उप समिति तथा 30 प्रतिशत से कम या निशुल्क मन्त्रीमण्डल के स्तर पर किया जा सकेगा।</p>	<p>मण्डल/स्थानीय निकाय द्वारा मुनि निर्दिष्ट की जायेगी तथा इन सुविधाओं के संचालन व रख-रखाव हेतु सर्वोचित संस्था को हस्तान्तरित की जा सकेगी, परन्तु प्रस्तावित मुनि पर स्वाभिध संबंधित निकाय का ही रहेगा।</p>
(iv)	<p>प्रोफेशनल संस्थाओं के लिए</p>	<p>आवश्यक आरक्षित दर पर या कम</p>	<p>कम सं 1 के अनुसार</p>
(v)	<p>प्रिमीयर (Premier) संस्थान (ऐसे संस्थान जिनमें 5 वर्षों में कम से कम 50 करोड़ रुपये का निवेश किया जाये।)</p> <ul style="list-style-type: none"> • विश्वविद्यालय • प्रोफेशनल टेक्नीकल कॉलेज • राष्ट्रीय स्तरीय विद्यालय <p>National Repute के ऐसे विद्यालय जो राज्य के कम से कम 5 शहरों में विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव हो तथा 5 वर्ष में न्यूनतम 50 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित हो। ऐसी शिक्षण संस्थाएँ जो कम से कम 15 वर्ष</p>	<p>5 वर्ष में न्यूनतम 50 करोड़ तक निवेश करने वाली संस्थाओं के लिए आरक्षित दर/डीएलसी दर का 50 प्रतिशत</p> <p>5 वर्ष में 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली संस्थाओं के लिए आरक्षित दर/डीएलसी दर का 25 प्रतिशत तक</p>	<p>कम सं 1 के अनुसार</p> <p>कम सं 1 के अनुसार</p> <p>इस नीति के कम संख्या 1 के अनुसार</p>

<p>सं. देश के किसी भी भाग में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यशील हो।</p> <ul style="list-style-type: none"> • मेडिकल कॉलेज / बड़े होस्पिटल 	<p>(जबत प्रणी के लिए योग्यता व दर Policy To Promote Private Investment in Health Care Facilities, 2006 के अनुसार)</p>	
---	---	--

नोट :-

- प्रोप्रीयर संस्थान हेतु भूमि का आकार डी.पी.आर. व विनिवेश के आधार पर तय किया जायेगा। इसके लिए प्रमुख शारान सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में एक रिकनिंग समिति गठित की जायेगी जिसकी सिफारिश मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन या नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के लिये गठित Empowered Committee of Cabinet या मंत्रीमण्डल के समक्ष रखी जावेगी।
- बिन्दु सं. 1.1 में संस्थाओं की अहर्ता के अन्तर्गत 3 वर्ष की अनिवार्यता प्रोप्रीयर संस्थाओं पर बाध्यता नहीं होगी।
- यदि विकसित भूमि उपलब्ध नहीं है तो अविकसित भूमि डीएलसी+20 प्रतिशत की दर पर आवंटित की जा सकेगी। इस दर में 50 करोड़ रुपये निवेश करने पर 50 प्रतिशत की दर पर आवंटन तथा 100 करोड़ रुपये निवेश करने पर 25 प्रतिशत की दर पर आवंटन किया जा सकेगा।
- यदि किसी भूमि पर एक से ज्यादा अलग-अलग डीएलसी की दरें लागू होती हो तो अधिकतम डीएलसी की दर को आधार बनाया जायेगा।

e) यदि नगरीय निकाय के पास आवंटन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो तो प्रोमीसर

इन्स्टीट्यूशन के लिए यथासंभव भूमि अवाप्त कर आवंटन भी की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में यदि भूमि विकसित है तो अवाप्ति की कीमत विकास पर किया जाने वाला खर्च तथा 20 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के आधार पर निर्धारित की जायेगी। यदि भूमि अविकसित है तो अवाप्ति की कीमत तथा 20 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के आधार पर निर्धारित की जाएगी। भूमि अवाप्ति का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया जा सकेगा।

f) जो मेडीकल कॉलेज/हॉस्पिटल Policy to Promote Private Investment in Health Facilities, 2006 के तहत नहीं आते हैं उन्हें इस नीति के तहत भूमि आवंटित की जावेगी।

नोट : प्रमुख शासन सचिव के स्तर पर गठित की जाने वाली कमेटी व उसकी प्रक्रिया बाबत आदेश अलग से विभाग द्वारा जारी किया जावेगा।

4. आवंटनकर्ता संस्था/विभाग के कर्तव्य -

4.1 न्यास/प्राधिकरण/स्थानीय निकाय संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन किये जाने के उद्देश्य से लेण्ड बैंक तैयार करेगी। यथा संभव प्रमुख शहरों में सरथानिक क्षेत्र बनाया जायेगा। यदि ऐसे क्षेत्र हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो तो आवश्यकतानुसार उपयुक्त भूमि अवाप्त की जा सकेगी। लेकिन वेशकीमती जमीन को रियायती दरों पर आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।

- 4.2 किसी भी संस्था को आवंटित किये जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल का औचित्य निर्धारण संबंधित विभाग आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर सुनिश्चित करनेगा।
- 4.3 निशक्तजन, मूक-बधिरों के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, कार्यरत (कामकाजी) महिला छात्रावास आदि के लिए संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर समाज कल्याण विभाग से टिप्पणी प्राप्त की जावेगी। इसी प्रकार अस्पतालों के लिये आवंटित की जाने वाली भूमि बाबत टिप्पणी चिकित्सा विभाग से प्राप्त की जावेगी।
- 4.4 आवेदक संस्था के आर्थिक स्रोतों को स्वयं सुनिश्चित करना होगा, जिससे निर्धारित अवधि में निर्माण पूर्ण हो सके व भूमि आवंटन के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकें।
- 4.5 संबंधित विभाग यथा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, समाज कल्याण विभाग जैसी भी रिश्थित हो प्रत्येक वर्ष रियायती दरों पर आवंटित भूमि के उपयोग की जाय सुनिश्चित करेगा तथा आवंटित संस्था द्वारा आवंटन की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित विभाग नगर विकास न्यास/प्राधिकरण/आवासन मण्डल/स्थानीय निकाय विभाग को सूचित करेगा, जिनके द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेंगी।
- 4.6 सक्षम स्तर (नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, मंत्रीमण्डलीय समिति व मंत्रीमण्डल) से भूमि आवंटन का निर्णय होने पर, आदेश पारित होने के उपरान्त उसकी पालना 30 दिवस में सम्बन्धित नगरीय निकाय द्वारा की जावेगी। यदि उक्त

पालना इस अवधि में नहीं की जायेगी तो सम्बन्धित नगरीय निकाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जायेगी।

5. सामान्य शर्तें -

- 5.1 जहां भूमि अधिक्लित है, वहां राश्याओं को कर्म भूमि की डी.एल.सी + 20 प्रतिशत दर लागू होगी। कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर से वसूल करने पर क्षेत्र में सुविधाओं की उपलब्धी का उत्तरदायित्व सामान्य तौर पर आवंटित संस्था पर होगा लेकिन यदि नगरीय विकास द्वारा विकास कार्य करवाये जाते हैं तो समानुपातिक रूप से अतिरिक्त राशि आवंटित संस्था से वसूल की जा सकेगी।
- 5.2 जिन प्रकरणों में भूमि का निःशुल्क आवंटन किया जाता है उनमें भूमि का स्वामित्व सामान्य तौर पर संस्था को हस्तान्तरित नहीं कर संबन्धित स्थानीय निकाय में निहित रहेगा अर्थात् संस्था सिर्फ लाईसेन्सधारी ही रहेगी।
- 5.3 संस्थाओं को रियायती दर पर आवंटित भूमि का उपयोग यदि पब्लिक एवं चैरीटेबल अथवा सामाजिक उद्देश्य के लिये नहीं होना पाया जाता है तो उक्त भूमि एवं उस पर निर्मित भवन सहित राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे तथा उनका कोई मुआवजा देय नहीं होगा अथवा प्रचलित बाजार दर से संबंधित संस्था को भूमि की कीमत जमा करानी होगी।
- 5.4 किसी भी संस्था के लिये आवंटन की विशेष रियायती दर राज्य सरकार द्वारा आदेशित हो जाने के बाद उसके द्वारा अपनी परियोजना के लिये अतिरिक्त भूमि की मांग नहीं की जायेगी और

यदि उसे अतिरिक्त भूमि आवंटित की जाती है तो उस पर कोई छूट देय नहीं होगी तथा वह आवंटन प्रस्तावित आरक्षित दर/डीएलसी।20 प्रतिशत पर किया जायेगा। संशोधन के स्तर पर इसका छूट का प्रावधान होगा।

- 5.5 भूमि प्रारम्भिक तौर पर तीन वर्ष के भवन निर्माण की अनुज्ञा के साथ आवंटित की जायेगी। इस अवधि में जिस प्रयोजन के लिये भूमि आवंटित की है भवन का निर्माण पूर्ण करना होगा भवन का निर्माण संबंधित नगरीय निकाय से अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवंटन की स्थिति से एक वर्ष में प्रारम्भ करना होगा अन्यथा भवन मानचित्र निरस्त माने जायेंगे। प्रमुख (premier) संस्थाओं के लिये 5 वर्ष की अवधि होगी।
- 5.6 जिस प्रयोजन के लिये भूमि आवंटित की गई है उससे भिन्न प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा तथा आवंटित भूमि को विक्रय या किराये पर देना अथवा अन्यथा हस्तान्तरण निषेध होगा तथा आवंटित भूमि आवंटन प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना भवन के निर्माण से पूर्व एवं पश्चात किमी भी प्रतिबंध के दायित्वाधीन नहीं होगी।
- 5.7 जिस संस्था को रियायती दर पर (आरक्षित दर से कम या डीएलसी दर से कम दर) भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित है उसका पूर्व में उसी शहर में रियायती दर पर भूमि आवंटन नहीं होना चाहिये। इसकी छूट राज्य सरकार के स्तर पर दी जा सकेगी।
- 5.8 राज्य सरकार या आवंटन प्राधिकारी को किसी विकास या सुधार के लिये आवंटित भूमि के किसी भाग की दाय में किसी

चरण में यदि आवश्यकता हो तो उसे आवंटन अधिकारी द्वारा पूर्व में जिस दर पर आवंटन किया गया था, उसी दर पर वापस लिया जा सकेगा तथा उक्त भूमि के भाग पर किये गये निर्माण एवं विकास का मुआवजा आवंटन अधिकारी द्वारा पृथक से भुगतान किया जावेगा।

5.9 संस्था को जिस प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित की गई है उसके अतिरिक्त उक्त भूमि का कोई अन्य उपयोग तो नहीं किया जा रहा है, इस हेतु संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित भूमि का प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जावेगा। यदि भूमि का अन्य उपयोग किया जाना पाया जाता है तो यह आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

5.10 संस्था के कार्यरत नहीं रहने या अन्य संस्था में विलिनीकरण होने की स्थिति में आवंटित भूमि एवं उस पर किये गये निर्माण बिना मुआवजे के संबंधित स्थानीय निकाय में स्वतः ही समाहित हो जावेगी।

5.11 संस्था द्वारा रियायती दर पर आवंटित भूमि का किसी अन्य को हस्तान्तरण अवैध एवं शून्य माना जावेगा।

5.12 जिन संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटित की गई है, उन संस्थाओं को आवंटन की शर्तों जिसमें आमजन हेतु रियायती/सुविधाओं का वर्णन किया गया है का पदर्शन निर्मित भवन के मुख्यद्वार के पास सूचना प्लेट पर स्थायी रूप से अंकित करना होगा।

5.13 यदि भारत सरकार की regulatory bodies जैसे कि AICTE, CBSE, MCI, Bar Council of India, व अन्य

regulatory bodies द्वारा जारी दिशा निर्देशों के विपरीत नहीं हो तो जिन शिक्षण संस्थाओं को भूमि आवंटित की जायेगी उनमें 25 प्रतिशत सीटें गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो के बच्चों अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो के बच्चों तथा विकलांग बच्चों जैसा कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.21(19)शिक्षा/प्राशि/2009 दिनांक 29.03.2011 में उल्लेखित है के लिए आरक्षित रखी जायेगी।

उक्त 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर दिये गये प्रवेश पर बच्चों को प्रारम्भिक स्तर तक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जायेगी तथा उच्च माध्यमिक स्तर व उससे ऊपर की शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप लिया जायेगा।

5.14 Premier या विशिष्ट संस्थानों की आवश्यकतानुसार संबंधित निकाय के पास भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में स्थानीय निकाय निजी भूमि का अधिग्रहण कर संस्थाओं को अवाप्ति की कीमत + विकास पर खर्चा + 20 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में लेकर संस्था को उपलब्ध करायेगी। इसके लिये उपयुक्त स्थान विनियत कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जावेंगे।

5.15 आवंटित भूमि 99 वर्ष के लिए लीज पर आवंटित की जावेगी तथा लीज राशि आवंटित दर पर देय होगी।

5.16 रियायती दर भर भूमि आवंटन करवाने वाली संस्था द्वारा चिकित्सा संस्थान में गरीबों को निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक होगा -

आवंटन की दर	चिकित्सा संस्थान (हॉस्पिटल)
निःशुल्क	बी.पी.एल. परिवारों हेतु निःशुल्क इलाज, शैथिल्य का प्रतिशत व अन्य शर्तों में बीमरूढ़न द्वारा तय की जाएगी।
आरक्षित दर के 50 प्रतिशत तक पर आवंटन	कुल शैथिल्य की संख्या का 15 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क तथा इलाज स्वयं भी निःशुल्क। (आउटडोर व इनडोर)
आरक्षित दर	कुल शैथिल्य की संख्या का 10 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवारों के लिए निःशुल्क तथा इलाज भी निःशुल्क (आउटडोर व इनडोर)

नोट:- चिकित्सा संस्थाओं को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में बी.पी.एल. परिवारों के अलावा अन्य श्रेणी के गरीब परिवारों को चिकित्सा सुविधा यथा निःशुल्क शैथिल्य, उपचार, जांच व दवाईया उपलब्ध करवाने हेतु अधीक्षक जिला अस्पताल / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आधिकृत होंगे।

5.17 निजी चिकित्सालयों को राज्य सरकार/स्वायत्त शासी संस्थाओं द्वारा आवंटित भूमि के संबंध में शर्तों की पालना सुनिश्चित करने हेतु नॉनितरिंग का कार्य संबंधित नगरीय निकाय व चिकित्सा विभाग द्वारा किया जाएगा।

5.18 इसी प्रकार शिक्षण संस्थाओं को आवंटित भूमि वास्तु शर्तों की पालना संबंधित नगरीय निकाय व शिक्षा विभाग/संस्कृतिक शिक्षा विभाग द्वारा नॉनितरिंग का कार्य किया जाएगा।


5.19 राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उपयोगों हेतु समय-समय पर जारी की गई/की जाने वाली नीति के आवंटन संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

5.20 आवंटित भूमि जिन शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की गई है, उन शर्तों का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार शक्ति अक्षिप्त कर सकेंगी।

5.21 निःशुल्क भूमि आवंटन व शर्तों का निर्धारण मंत्रिमण्डल द्वारा किया जायेगा।

5.22 उपरोक्त नीति राज्य के सभी नगरीय निकायों/ न्यासों/ प्राधिकरणों व राजस्थान आवासन मण्डल पर लागू होगी।

सार्वजनिक, चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के सम्बन्ध में नीति के उपरोक्त वर्णित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे। यह नीति तुरन्त प्रभाव से लागू होगी और वर्तमान में विचाराधीन मामलों पर भी नीति के प्रावधान लागू होंगे, परन्तु पूर्व निर्णीत मामलों में यह लागू नहीं होगी।


(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
2. निशिक्षित सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वास्थ्य शासन विभाग
3. उप सचिव, मुख्य सचिव
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वास्थ्य शासन विभाग
5. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग
6. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग

7. प्रमुख सचिव, राजपत्र विभाग
8. प्रमुख सचिव, विधिकरण एवं सर्वोच्च विभाग
9. प्रमुख सचिव, विदेशीय विभाग
10. अधीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय सचयन
11. भारत सरकार, स्वयंसेवा इकाई विभाग
12. अधीक्षक, जयपुर / जयपुर विभाग सचिव
13. मुख्य नगर निरीक्षक, राजस्थान जयपुर
14. निदेशक, राजस्थान भारत विभाग
15. सचिव, नगर विभाग राज (राजस्थान)
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर, जयपुर जे.पी. विभाग, जयपुर

(Handwritten Signature)

जय राजस्थान सचिव-राजीव